

ग्राम सभा की कार्यवाही

दिनांक :-

प्रखण्ड का नाम :-

पंचायत का नाम :-

राजस्व ग्राम का नाम :-

आज दिनांक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत राशन कार्ड निर्माण से संबंधित बैठक आहूत की गई है। आज की ग्राम सभा की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जैसे लाभुकों की छँटनी की जानी है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अहर्ता नहीं रखते हैं एवं जैसे परिवारों का चयन किया जाना है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की अहर्ता रखते हैं।

ग्राम सभा को इस आशय की जानकारी दी जाती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस ग्राम में कुल परिवारों की संख्या (हाउस होल्ड) है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत इस ग्राम की जनसंख्या का 86.48% आबादी को इस अधिनियम के तहत लाभ दिया जाना है। इस ग्राम की कुल परिवारों का 86.48% परिवारों की संख्या है। अभीतक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत इस ग्राम में कुल परिवारों को सम्मिलित किया जा चुका है। अतः परिवारों को सम्मिलित/छँटनी किया जाना अपेक्षित है।

आज की ग्राम सभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत चयनित जैसे लाभुकों की सूची जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत वर्तमान में खाद्यान्न दिया जा रहा है, के नामों को पढ़कर ग्राम सभा के समक्ष सुनाया जा रहा है। विभागीय संकल्प सं०-879 दिनांक 17.03.2015 द्वारा कतिपय अपवर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

1. परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हों अथवा,
2. परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देता है अथवा,
3. परिवार जिसके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी है अथवा,
4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा,
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है अथवा,
6. जैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन है अथवा,
7. जैसे परिवार जिनके पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो,
8. जैसे परिवार जिनके पास मशीन चालित चार पहिरे वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हो।

अतः वार्ड सभा से अनुरोध है कि इसमें से जैसे लाभुकों की छँटनी सुनिश्चित किया जाए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अहर्ता नहीं रखते हैं। जैसे व्यक्ति/परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे।

क्र०	छँटनी होनेवाले लाभुक का नाम	पिता का नाम	नया राशन कार्ड संख्या	छँटनी का कारण
1.				
2.				

4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त आवेदन जिन्हें ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जा रहा है। ग्राम सभा से अनुरोध है कि वे उन आवेदनों में से वैसे लाभुकों का चयन सुनिश्चित करें, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अर्हता रखते हैं।

क्र०	योग्य/सम्मिलित किये जाने लाभुक का नाम	पिता का नाम	पता	सम्मिलित किये जाने का कारण
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

सरकारी पर्यवेक्षक/कर्मी का हस्ताक्षर

अध्यक्ष,
ग्राम सभा

उपस्थित जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर

1.

2.

3.